इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 अप्रैल 2015—वैशाख 7, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. 2267-119-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक १ सन् २०१५

मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, २०१५

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २७ अप्रैल, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत: राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ है.

(२) यह इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् १९६० का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, १९६० (क्रमांक २० सन् १९६०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा १५ का संशोधन.

३. (१) मूल अधिनियम की धारा १५ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् .—

"(२) उपधारा (१) में की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो उस को लागू उच्चतम-सीमा क्षेत्रफल से अधिक कोई भूमि, किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए अर्जित करता है:

परन्तु ऐसा व्यक्ति—

(एक) ऐसी भूमि के अर्जन की तारीख से ९० दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को लिखित में सूचना देगा कि वह ऐसे अकृषिक प्रयोजन के लिए अपनी भूमि का व्यपवर्तन करवाएगा;

(दो) ऐसे अर्जन की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसी भूमि का मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) के सुसंगत उपबंधों के अनुसार व्यपवर्तन करवाएगा; और

(तीन) ऐसी भूमि के व्यपवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर भूमि का प्रस्तावित अकृषिक उपयोग प्रारंभ करेगा.

(३) उपधारा (१) में की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसने नियत दिन के पश्चात् और मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ के प्रवृत्त होने से पूर्व उसको लागू उच्चतम सीमा क्षेत्रफल से अधिक भूमि अर्जित कर ली है, यदि ऐसा व्यक्ति, अकृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के व्यपवर्तन के लिए, पूर्वोक्त अध्यादेश के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के बीतर उपखंड अधिकारी को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन्

१९५९) के उपबंधों के अधीन आवेदन करता है और ऐसी भूमि के व्यपवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि का अकृषिक उपयोग प्रारंभ कर देता है.

(४) यदि उपधारा (२) या उपधारा (३) में निर्दिष्ट व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (२) या उपधारा (३) के परन्तुक के खण्ड (दो) या खण्ड (तीन) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो अकृषिक उपयोग के लिए भूमि के व्यपवर्तन का आदेश, यदि कोई हो, रद्द किया गया समझा जाएगा और उस व्यक्ति पर उपधारा (१) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों कि उसने ऐसे उल्लंघन की तारीख को भूमि अर्जित की थी.

स्पष्टीकरण.—यह प्रश्न कि इस उपधारा में यथानिर्दिष्ट उल्लंघन कारित किया गया है या नहीं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुना और विनिश्चित किया जाएगा.

भोपाल :
तारीख २३ अप्रैल सन् २०१५

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. 2268-119-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No.1 OF 2015

THE MADHYA PRADESH CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th April 2015.]

Promulgated by the Governor in the Sixty-sixth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Ceiling on agricultural Holdings Act, 1960.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clasue (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Ordinance, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 20 of 1960 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in section 3.

Amendment of Section 15.

3. Section 15 of the principal Act shall be numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so mumbered, the following new sub-sections shall be added, namely:—

"(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a person who acquires any land in excess of the ceiling area applicable to him, to be used for any non-agricultural purposes:

Provided that such person shall-

(i) intimate in writing to the Competent Authority within 90 days from the date of acquisition of such land that he shall get his land diverted to non-agricultural purpose;

(ii) to get such land diverted in accordance with the relevant provisions of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) within one year from the date of such acquisition; and

(iii) commence the proposed non-agricultural use of the land within a period of three years from the date of diversion of such land.

(3) Nothing in sub-section (1) shall apply to a persn who has acquired, after the appointed day and before coming into force of the Madhya Pradesh Celling on agricultural Holdings (Amendment) Ordinance, 2015, land in excess of the ceiling area applicable to him, if such person applies to the sub-Divisional Officer under the provisions of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) within one year from coming into force of the aforesaid Ordinance, for diversion of the land for non-agricultural purpose and commences such non-agricultural use of the land within a period of three years from the date of diversion of such land.

(4) If the person referred to in sub-section (2), or sub-section (3) contravenes the provisions of clause (ii) or clause (iii) of proviso to sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be, the order of diversion of land for non-agricultural use, if any, shall be deemed to have been cancelled and the provisions of sub-section (1) shall apply to him mutatis mutandis as if he had acquired the land on the date of such contravention.

Explanation.—The question as to whether the contravention as referred to in this sub-section has been committed or not shall be heard and decided by the competent authority.''.

Bhopal :
Dated : 23rd April 2015

RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015